ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर

(सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश)

<u>खण्ड का संक्षिप्त विवरण</u>

कार्यालय का नाम	ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर	
कार्यालय का पता	कैलाल कालोनी, महावी चौक, मुजफ्फरनगर	
कार्यालय अध्यक्ष का नाम व पदनाम	अधिशासी अभियन्ता	
दूरभाष	कार्यालय व फैक्स	01312620175
	आवास	01312620195
	फैक्स	0131260175
विभाग की वैबसाईट का एड्रेस व मुख्यालय का पता	**h t t p: //w w w.i d u p.g o v.in** कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, कैन्ट रोड, लखनऊ	
खण्ड का ई–मेल एड्रेस	**e x n d d m m z n @ y a h o o. c o m**	
विभागाध्यक्ष का दूरभाष नं0 एवं फैक्स नं0	**0 5 2 2 – 2 6 2 5 8 1 , 0 5 2 2 - 2 6 2 6 8 0 4**	

<u>संगठनात्क चार्ट</u>

अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता प्रथम	5 अवर अभियन्ता
	सहायक अभियन्ता द्वितीय	4 अवर अभियन्ता
	सहायक अभियन्ता तृतीय	4 अवर अभियन्ता
	सहायक अभियन्ता चतुर्थ	3 अवर अभियन्ता

ड्रेनज खण्ड, मुजफ्फरनगर के कार्यो पर संक्षिप्त टिप्पणी

ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर का कार्यक्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है। खण्ड का मुख्य कार्य जनपद में प्रवाहित हो रही गंगा, यमुना, हिण्डन, कृष्णी तथा काली नदी में आने वाली सम्भावित बाढ से कृषि योग्य भूमि/आबादी की सुरक्षा हेतु बाढ सुरक्षा कार्यो का निर्माण/अनुरक्षण तथा जलोत्सारण के कार्य है। यमुना नदी के बायें किनारे पर कुल 54.790 कि0मी0 तटबांध तथा तीर्थ स्थल शुक्रताल की सुरक्षा हेतु गंगा नदी के दायें किनारे पर 2.300 कि0मी0 लम्बाई में तटबांध निर्मित है। इस खण्ड के अन्तर्गत कोई भी शोध कार्य /प्रशिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। उपखण्डवार तटबांध का विवरण निम्नप्रकार है :–

क्रमांक	तटबांध का नाम तथा चैनेज	उपखण्ड का नाम
1	यमुना तटबांध (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 20.00 तक)	प्रथम उपखण्ड
2.	यमुना तटबांध (कि0मी0 20.00 से कि0मी0 38.420 तक)	द्वितीय उपखण्ड
3.	यमुना तटबांध (कि0मी0 38.420 से कि0मी0 54.790 तक)	तृतीय उपखण्ड
4.	शुक्रताल तटबांध (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 2.30 तक)	चतुर्थ उपखण्ड

आम जनता को सामान्य जानकारी देने हेतु विभागीय प्रक्रिया का विवरण

ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवा जनपद की नदियों से कृषि योग्य भूमि/आबादी को सम्भावित बाढ से बचाने हेतु बाढ सुरक्षा कार्यो, तटबांध का निर्माण/अनुरक्षण तथा जलोत्सारण के कार्य है।

(1) सेवा का मानक एवं समय सीमा :

आम जनता को नदियों में आने वाली सम्भावित बाढ तथा वर्षाकाल में जल प्लावन की समस्या से निजात दिलाने हेतु यह खण्ड तत्परता कार्यरत है। बाढ सुरक्षा कार्यो तथा नालों की अनुरक्षण मद से मरम्मत करवाने के लिऐ कार्यो को जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार चिन्हित कर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के द्वारा अनुमोदित सूची उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। यह मरम्मत के कार्य वर्षाकाल से पूर्व (15 जून से पहले) निश्चित रूप से पूरे कर लिए जाते है।

(2) सेवा की सुनि□चतता

यह खण्ड जनता की सेवा में सदैव प्रयत्नशील है। खण्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी हर सम्भव प्रयास करते है कि आम जनता को बाढ एवं अतिवृष्टि तथा जलप्लावन की स्थिति में कोई परेशानी न हो।

(3) सेवा की आसानी से उपलब्धता

जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर खंड से सूचना प्राप्त की जा सकती है। जिसके लिये इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–तृतीय जन सूचना अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता–प्रथम सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त हैं अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, मेरठ अपीलीय अधिकारी नियत है।

(4) जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ विचार–विम□ि

जनपद में जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ विचार–विमर्श तथा सुझाव हेतु जिला सिंचाई बन्धु की कमेठी गठित है। जनपद के समस्त सांसद राज्य सभा सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, ब्लाक प्रमुख, आदि उसके सदस्य होते हैं तथा इस मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष, जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा की जाती हैं। इस कमेटी के सचिव, जनपदीय नोडल अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग होते है। इस मीटिंग में जनपद के अधिकारी (अथवा उनके प्रतिनिधि) जिनका सम्बन्ध कृषि एवं सिंचाई तथा बाढ/जलप्लावन आदि की समस्या से हो, उपस्थित

होते हैं जिससे जनता की समस्याओं की जानकारी ली जाती है और आपसी विचार–विमर्श से उनका निदान करने की कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर तहसील दिवस आयोजित किया जाता है। इन बैठकों में सामान्यतः जो समस्याये आती है उनका समाधान करने की प्रक्रिया नियमानुसार सुनिश्चित की जाती है।

जन समस्याओं एवं शिकायतों के निराकर हेतु अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता अपने कार्यालय कक्ष में प्रतिदिन 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक उपस्थित रहते है। शिकायतकर्त्ता की शिकायत के सम्बन्ध में यथा आवश्यक समुचित निर्देच कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्गत कर समाधान किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर